




**न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)**

आदेश पत्रक

विनोद सिंह बुण्डू

वनाम सोहन सिंह बुण्डू

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम... 34.../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी बुण्डू के अप्राथमिकी सं०-10/18 दिनांक 29-3-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि रिवेल सं० 72 रकवा 37510 मोजा सुतीलीग थाना बुण्डू (2मि विवाद) को लेकर समय पत्र में वनाम 27</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 10000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 11-05-18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">               कार्यपालक दण्डाधिकारी,              बुण्डू।         </div> <div style="text-align: center;">               11/5/18              कार्यपालक दण्डाधिकारी,              बुण्डू।         </div> </div> <p align="center" style="margin-top: 20px;">अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 28-05-18 को शरबे।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">               11/5/18         </div>	

11-05-18

तिथि

प्रथम पत्र गवारी के 6 दिनोंक  
10-12-18 का 22वें

  
10/12/18

10-12-18

अभिलेख उपस्थापित / समय पत्र  
उपस्थित । उक्त वाद के 6 (छ) माह  
की अवधि पूर्ण है उकी हे-अर्थात्  
वाद कालबाधित हो गया है। अतः वाद  
में अभिलेख की कारवाही बन्द की जाती  
है

  
10/12/18